न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 151/2020

1. सुरेन्द्र कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी डूँगरसिंहपुरा त0 भादरा।

:— वादी

ब ना म

1 ओमप्रकाश पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी डूँगरसिंहपुरा त0 भादरा।

2 दिनेश कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी डूँगरसिंहपुरा त0 भादरा।

3 सरोज पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी डूँगरसिंहपुरा त0 भादरा।

4 सुमन पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी डूँगरसिंहपुरा त0 भादरा।

5 पुष्पा पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी डूँगरसिंहपुरा त0 भादरा।

:— प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट—ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री मुंशीराम गोस्वामी एवं वकील प्रतिवादीगण श्री सुरेन्द्र मील की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही डूँगरसिंहपुरा के खाता सं0 76/58 के खसरा सं0 21 की 4.464है0, खसरा सं0 113 की 1.834है0, खसरा सं0 120 की 2.150है0, खसरा सं0 133 की 0.152है0, खसरा सं0 162 की 0.696है0, खसरा सं0 183 की 0.405है0, खसरा सं0 191 की 10.572है0 कुल 20.273है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं 1 ओमप्रकाश के नाम 351—1/2 हिस्सा खातेदारी नाम दर्ज भूमि में वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 2 को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। चुंकि प्रतिवादी स0 3 ता 5 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 2 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प डयूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी सुरेन्द्र कुमार व प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश, प्रतिवादी सं0 2 दिनेश कुमार को संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 2 1.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:59:20 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक)(सत्यनारायण)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट—ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 151/2020

1. सुरेन्द्र कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी डूँगरसिंहपुरा त0 भादरा।

:— वादी

ब नाम

1 ओमप्रकाश पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी डूँगरसिंहपुरा त0 भादरा।

2 दिनेश कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी डूँगरसिंहपुरा त0 भादरा।

3 सरोज पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी डूँगरसिंहपुरा त0 भादरा।

4 सुमन पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी डूँगरसिंहपुरा त0 भादरा।

5 पुष्पा पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी डूँगरसिंहपुरा त0 भादरा।

:— प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री मुंशीराम गोस्वामी : वादी
वकील श्री सुरेन्द्र मील : प्रतिवादीगण

दिनांक : 22.12.2020

निर्णय

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा डूँगरसिंहपुरा के खाता सं0 76/58 के खसरा सं0 21 की 4.464है0, खसरा सं0 113 की 1.834है0, खसरा सं0 120 की 2.150है0, खसरा सं0 133 की 0.152है0, खसरा सं0 162 की 0.696है0, खसरा सं0 183 की 0.405है0, खसरा सं0 191 की 10.572है0 कुल 20.273है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं 1 ओमप्रकाश के नाम 351—1/2 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो पहले प्रतिवादी सं 1 के पिता रामजीलाल की खातेदारी हुआ करती थी। रामजीलाल से विरासतन उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाऊ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 5 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु सुरेन्द्र पुत्र ओमप्रकाश के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम डूँगरसिंहपुरा संवत प्रदर्श 2 खाता सं0 76/58 प्रदर्श 1 प्रदर्शित करवाये।

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक) भादरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.10 09:39:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरीत असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने ग्राम डूँगरसिंहपुरा के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। डूँगरसिंहपुरा के खाता सं0 76/58 के खसरा सं0 21 की 4.464है0, खसरा सं0 113 की 1.834है0, खसरा सं0 120 की 2.150है0, खसरा सं0 133 की 0.152है0, खसरा सं0 162 की 0.696है0, खसरा सं0 183 की 0.405है0, खसरा सं0 191 की 10.572है0 कुल 20.273है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं 1 ओमप्रकाश के नाम 351–1/2 हिस्सा खातेदारी के नाम खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है इस प्रकार वाद भूमि में वादी तथा प्रतिवादी सं 1 ता 2 का बहिस्सा बराबर है। चुंकि प्रतिवादीया सं0 3 ता 5 ने अपना हक हिस्सा वादी तथा प्रतिवादी सं 3 ता 5 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इस प्रकार वादभूमि में वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 2 संयुक्त रूप बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जावें। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है। ।

कियात्मक आदेश

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि डूँगरसिंहपुरा के खाता सं0 76/58 के खसरा सं0 21 की 4.464है0, खसरा सं0 113 की 1.834है0, खसरा सं0 120 की 2.150है0, खसरा सं0 133 की 0.152है0, खसरा सं0 162 की 0.696है0, खसरा सं0 183 की 0.405है0, खसरा सं0 191 की 10.572है0 कुल 20.273है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं 1 ओमप्रकाश के नाम 351–1/2 हिस्सा खातेदारी नाम दर्ज भूमि में वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 2 को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। चुंकि प्रतिवादी स0 3 ता 5 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 2 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प डयूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी सुरेन्द्र कुमार व प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश, प्रतिवादी सं0 2 दिनेश कुमार को संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22.12.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:59:20 IST
Reason: SelfAttested

(सत्य नारायण)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner